



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12718/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुनील बोहरा बोहरों का मौहल्ला, गोविन्दगढ़, जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 04-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री योगेश कुमार शर्मा, बी.ई.ई.ओ., उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 23-9-16 के द्वारा श्री लक्ष्मण राम जाट की नियुक्ति से पहले जांच प्रतिवेदन, नियुक्ति पत्र आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 4-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी ने समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन कर लिया है एवं उन्हें सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, अपीलार्थी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर आयोग को भी सूचित कर दिया गया है कि वह प्राप्त सूचना से संतुष्ट है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-2-18 एवं 4-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना परपक्षीय सूचना है, इस प्रकार की सूचना प्रदान करने से तृतीय पक्ष की निजता भंग होती है, अतः इस प्रकार की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ई) एवं (जे) के तहत अदेय है।

8. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का निस्तारित किया जाना समीचीन है।
9. अस्तु, वर्तमान अपील निस्तारित की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त